

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5290
दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए

स्मॉग टॉवर लगाना

5290. श्री अरविंद सांवत :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्मॉग टावरों को लगाने में व्यय की गई लागत का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग टावर लगाने की लागत-प्रभावशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का मानना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग टावर लगाने की तुलना में स्रोत पर प्रदूषण कम करना अधिक लागत प्रभावी है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण और इसके स्रोत पर स्मॉग को कम करने हेतु तंत्र स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ङ.) प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा आनंद विहार में स्थापित स्मॉग टॉवर की कुल परियोजना लागत 18,52,75,120/- रुपए थी, इसमें कर और शुल्कों, प्रचालन लागत, बिजली का कनेक्शन, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) शुल्क, वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी) और अन्य विशिष्ट कार्यों की लागत शामिल नहीं है। कुल लागत में से, 13,59,10,000/- करोड़ रुपए टॉवर निर्माण और कार्य संबंधी घटकों को चालू करने (टीपीएल द्वारा निष्पादित) के लिए थे।

दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, क्लॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर स्थापित करने की कुल लागत 19,42,35,120/-रुपए है।

ये दो स्मॉग टॉवर प्रयोगात्मक आरंभिक परियोजनाएं हैं और इनकी आगे की उपयोगिता, निष्पादन परिणामों और अन्य प्रासंगिक विषयों पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) यह वैज्ञानिक तौर पर सत्य है कि स्रोत पर प्रदूषण को कम करना, नियंत्रित करना और रोकथाम करना, प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग टॉवर स्थापित करने से ज्यादा किफायती है।

सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-VI मानकों को लागू करना; ई-वाहनों को बढ़ावा देना; सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार; पीएनजी जैसे स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना; कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) सहित उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करना; ईट-भट्टों के लिए जिग-जैग

प्रौद्योगिकी का प्रयोग; प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर); प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की रियल-टाइम निगरानी इत्यादि शामिल हैं। क्षेत्र-वार उपाय **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ड) वर्ष 2019 से 2022 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता मानक हासिल नहीं शहरों को 472.06 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। विवरण **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी समूहों (यूए) को 15 वें वित्त आयोग अनुदान के तहत वर्ष 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 4400 करोड़ रुपए और 1833 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विवरण **अनुबंध-III** और **अनुबंध IV** के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, मिलियन प्लस चैलेंज फंड के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 12139.00 करोड़ रुपए का अनुदान भी आवंटित किया गया है। विवरण **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

वाहनीय प्रदूषण नियंत्रण

- अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस IV के स्थान पर सीधे बीएस VI मानदंड लागू करना।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क में वृद्धि की गई है और इसमें अधिक शहरों को शामिल किया गया है।
- एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आ रही है।
- सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत करना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम)-2 स्कीम की शुरुआत की गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट आवश्यकता पर छूट दी गई है।
- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना तथा और अधिक पुलों का निर्माण करना।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित करना।
- दिल्ली और एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक तथा फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी अपनाना।
- अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- प्रदूषण में कमी करने के लिए ईट भट्टों द्वारा मिश्रित (जिग-जैग) प्रौद्योगिकी को अपनाना।

अपशिष्ट प्रबंधन

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी करना।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी अवसंरचना की स्थापना करना।
- प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) निर्धारित करना।
- बायोमास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

फसल अवशिष्ट प्रबंधन

- 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने' से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, प्रत्येक किसान को 50 प्रतिशत रियायत पर और कस्टम हाईरिंग सेंटरों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत रियायत के साथ स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है।
- कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधनों में उपयोग हेतु सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए "किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी)" को एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के तहत हस्तचालित स्टेशनों के साथ-साथ सतत निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
- किफायती संवेदकों और उपग्रह आधारित निगरानी जैसी वैकल्पिक परिवेशी निगरानी प्रौद्योगिकियों का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत।
- दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन। यह प्रणाली समय पर कार्रवाई करने के लिए चेतावनी जारी करती है।

शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनसीएपी कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार और शहर-वार ब्यौरा

राशि करोड़ में

क्र.सं.	राज्य	शहर	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जारी राशि	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी राशि	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी राशि	31.12.2022 तक जारी कुल निधि
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	6.00	-	-	6.00
2	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	0.12	0.76	1.96	2.84
3	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	0.06	0.76	1.36	2.18
4	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	0.06	0.76	1.92	2.74
5	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	0.12	-	-	0.12
6	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	-	2.00	0.49	2.49
7	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	-	2.00	0.46	2.46
8	आंध्र प्रदेश	ओंगोल	-	2.00	0.64	2.64
9	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	-	2.00	0.83	2.83
10	आंध्र प्रदेश	एलुरु	-	2.00	0.82	2.82
11	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी	-	2.00	1.13	3.13
12	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	-	2.00	1.04	3.04
13	आंध्र प्रदेश	कडपा	-	1.00	0.83	1.83
14	असम	गुवाहाटी	0.12	5.00	-	5.12
15	असम	नगांव	0.06	2.00	-	2.06
16	असम	नलबाड़ी	0.06	1.00	-	1.06
17	असम	शिवसागर	0.06	2.00	-	2.06
18	असम	सिलचर	0.06	2.00	-	2.06
19	बिहार	पटना	10.00	-	-	10.00
20	बिहार	गया	0.10	2.00	1.90	4.00
21	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.10	5.00	2.50	7.60
22	चंडीगढ़	चंडीगढ़	8.28	5.00	4.61	17.89
23	छत्तीसगढ़	रायपुर	6.00	-	-	6.00
24	छत्तीसगढ़	भिलाई	6.00	-	-	6.00
25	छत्तीसगढ़	कोरबा	0.06	1.00	-	1.06
26	दिल्ली	दिल्ली	-	-	11.25	11.25
27	गुजरात	सूरत	6.00	-	-	6.00
28	गुजरात	अहमदाबाद	6.00	-	-	6.00
29	हिमाचल प्रदेश	बद्दी (वित्त वर्ष 20-21 के दौरान बद्दी और नालागढ़ को ट्विन माना जाता है)	0.06	3.00	0.20	3.26
30	हिमाचल प्रदेश	नालागढ़	0.06	-	0.06	0.12
31	हिमाचल प्रदेश	पांवटा साहिब	0.06	1.00	0.10	1.16

32	हिमाचल प्रदेश	सुंदर नगर	0.06	1.00	0.08	1.14
33	हिमाचल प्रदेश	काला अंब	-	3.00	0.00	3.00
34	हिमाचल प्रदेश	दमतला	-	1.00	0.01	1.01
35	हिमाचल प्रदेश	परवाणू	-	1.00	0.03	1.03
36	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	0.12	3.00	4.89	8.01
37	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	-	5.00	7.95	12.95
38	झारखंड	धनबाद	6.00	-	-	6.00
39	कर्नाटक	बैंगलोर	6.00	-	-	6.00
40	कर्नाटक	गुलबर्गा	0.12	0.38	2.24	2.74
41	कर्नाटक	हुबली, धारवाड़	0.12	0.38	3.68	4.18
42	कर्नाटक	दावणगेरे	0.06	0.76	1.40	2.22
43	मध्य प्रदेश	भोपाल	10.00	-	-	10.00
44	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	10.00	-	-	10.00
45	मध्य प्रदेश	इंदौर	0.20	-	-	0.20
46	मध्य प्रदेश	उज्जैन	0.20	0.38	2.33	2.91
47	मध्य प्रदेश	सागर	0.10	0.76	1.36	2.22
48	मध्य प्रदेश	देवास	0.10	0.38	1.33	1.81
49	महाराष्ट्र	मुंबई	9.50	-	-	9.50
50	महाराष्ट्र	नागपुर	9.45	-	-	9.45
51	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	9.45	-	-	9.45
52	महाराष्ट्र	पुणे	9.45	-	-	9.45
53	महाराष्ट्र	अमरावती	0.20	1.14	2.91	4.25
54	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.20	-	-	0.20
55	महाराष्ट्र	नासिक	0.20	-	-	0.20
56	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	0.20	0.76	-	0.96
57	महाराष्ट्र	सांगली	0.20	0.76	1.72	2.68
58	महाराष्ट्र	सोलापुर	0.20	0.38	4.20	4.78
59	महाराष्ट्र	उल्हासनगर	0.20	1.90	-	2.10
60	महाराष्ट्र	अकोला	0.10	1.14	1.47	2.71
61	महाराष्ट्र	बदलापुर	0.10	1.90	-	2.00
62	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	0.10	1.14	-	1.24
63	महाराष्ट्र	जलगांव	0.10	0.76	-	0.86
64	महाराष्ट्र	जालना	0.10	1.14	-	1.24
65	महाराष्ट्र	लातूर	0.10	0.38	1.60	2.08

66	मेघालय	बिरनिहाट	-	3.00	0.00	3.00
67	नगालैंड	दीमापुर	0.06	3.00	0.53	3.59
68	नगालैंड	कोहिमा	0.06	3.00	0.40	3.46
69	ओडिशा	ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक	6.00	-	-	6.00
70	ओडिशा	बालासोर	0.06	0.76	-	0.82
71	ओडिशा	राउरकेला	0.06	1.14	-	1.20
72	ओडिशा	ट्विन सिटी अंगुल और तालचेर	0.06	1.14	-	1.20
73	ओडिशा	कलिंग नगर	-	3.00	-	3.00
74	ओडिशा	तालचेर	-	-	0.22	0.22
75	ओडिशा	कटक	-	-	3.42	3.42
76	पंजाब	लुधियाना	6.00	-	-	6.00
77	पंजाब	अमृतसर	6.00	-	-	6.00
78	पंजाब	जालंधर	0.12	4.00	-	4.12
79	पंजाब	खन्ना	0.06	1.90	-	1.96
80	पंजाब	गोबिंदगढ़	0.06	3.00	-	3.06
81	पंजाब	नया नंगली	0.06	1.00	-	1.06
82	पंजाब	पठानकोट/डेरा बाबा	0.06	0.76	-	0.82
83	पंजाब	पटियाला	0.06	4.00	-	4.06
84	पंजाब	डेरा बस्सी	0.06	0.38	-	0.44
85	राजस्थान	जयपुर	6.00	-	-	6.00
86	राजस्थान	जोधपुर	6.00	-	-	6.00
87	राजस्थान	कोटा	6.00	-	-	6.00
88	राजस्थान	अलवर	0.06	1.90	-	1.96
89	राजस्थान	उदयपुर	0.06	1.90	-	1.96
90	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	0.06	3.00	-	3.06
91	तेलंगाना	हैदराबाद	10.80	-	-	10.80
92	तेलंगाना	नलगोंडा	0.10	0.38	0.47	0.95
93	तेलंगाना	पटेनचेरु	0.10	0.38	-	0.48
94	तेलंगाना	संगारेड्डी	-	2.00	0.32	2.32
95	उत्तर प्रदेश	आगरा	9.45	-	-	9.45
96	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	9.45	-	-	9.45
97	उत्तर प्रदेश	कानपुर	9.45	-	-	9.45
98	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	9.45	-	-	9.45
99	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	9.47	-	-	9.47
100	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	0.20	1.90	-	2.10
101	उत्तर प्रदेश	बरेली	0.20	1.90	-	2.10
102	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	0.20	1.90	-	2.10
103	उत्तर प्रदेश	झांसी	0.20	1.14	-	1.34
104	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	0.10	1.90	-	2.00
105	उत्तर प्रदेश	अनपरा	0.10	1.14	-	1.24
106	उत्तर प्रदेश	गजरौला	0.10	1.14	-	1.24

107	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	0.10	1.14	-	1.24
108	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	-	-	9.64	9.64
109	उत्तर प्रदेश	नोएडा	-	-	6.67	6.67
110	उत्तराखंड	काशीपुर	0.06	3.00	0.79	3.85
111	उत्तराखंड	ऋषिकेश	0.06	5.00	-	5.06
112	उत्तराखंड	देहरादून	-	3.00	4.88	7.88
113	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6.00	-	-	6.00
114	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	-	5.00	-	5.00
115	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	-	3.00	-	3.00
116	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुरी	-	3.00	-	3.00
117	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर	-	2.00	-	2.00
	कुल		224.92	150.52	96.62	472.06

15वें वित्त आयोग 2020-21 की अनुशंसाओं के अनुसार आवंटित की गई राशि (रु.करोड़ में)

राज्य	क्र.सं.	यू.ए.	अनुमोदित राशि	राज्य-वार अनुमोदित राशि
आंध्र प्रदेश	1	विजयवाड़ा यू.ए.	62	135
	2	विशाखापत्तनम	73	
बिहार	3	पटना यू.ए.	204	204
छत्तीसगढ़	4	दुर्ग भिलाईनगर यू.ए.	52	107
	5	रायपुर यू.ए.	55	
गुजरात	6	अहमदाबाद यू.ए.	182	405
	7	राजकोट यू.ए.	40	
	8	सूरत यू.ए.	131	
	9	वडोदरा यू.ए.	52	
हरियाणा	10	फरीदाबाद	48	48
झारखंड	11	धनबाद यू.ए.	52	159
	12	जमशेदपुर यू.ए.	58	
	13	रांची यू.ए.	49	
कर्नाटक	14	बृहट बेंगलोर यू.ए.	279	279
मध्य प्रदेश	15	भोपाल यू.ए.	88	299
	16	ग्वालियर यू.ए.	51	
	17	इंदौर यू.ए.	101	
	18	जबलपुर यू.ए.	59	
महाराष्ट्र	19	औरंगाबाद यू.ए.	32	793
	20	ग्रेटर मुंबई यू.ए.	488	
	21	नागपुर यू.ए.	66	
	22	नासिक यू.ए.	41	
	23	पुणे यू.ए.	134	
	24	वसई-विरार शहर	32	
पंजाब	25	अमृतसर यू.ए.	38	90
	26	लुधियाना	52	

राजस्थान	27	जोधपुर यू.ए.	62	281
	28	जयपुर	165	
	29	कोटा	54	
तमिलनाडु	30	चेन्नै यू.ए.	181	233
	31	मदुरै यू.ए.	31	
	32	तिरुचिरापल्ली यू.ए.	21	
तेलंगाना	33	हैदराबाद यू.ए.	234	234
उत्तर प्रदेश	34	आगरा यू.ए.	90	714
	35	इलाहाबाद यू.ए.	62	
	36	गाजियाबाद यू.ए.	121	
	37	कानपुर यू.ए.	148	
	38	लखनऊ यू.ए.	148	
	39	मेरठ यू.ए.	72	
	40	वाराणसी यू.ए.	73	
पश्चिम बंगाल	41	आसनसोल यू.ए.	34	419
	42	कोलकाता यू.ए.	385	
कुल (करोड़ रुपए में)			4400	4400

यू.ए.- शहरी समूह

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किया जाना

राज्य क्र.सं.	शहर क्र.सं.	राज्य/यूए	आवंटन 2021-22 (राशि करोड़ में)	एमओएफएंडसीसी की अनुशंसा (%)	जारी की जाने वाली निधि (राशि करोड़ में)
1		आंध्र प्रदेश	68		
	1	विजयवाड़ा	31	100	31
	2	विशाखापत्तनम	37	75	27.75
2		बिहार	103		
	1	पटना	103	75	77.25
3		छत्तीसगढ़	54		
	4	दुर्ग भिलाईनगर	26	100	26
	5	रायपुर	28	100	28
4		गुजरात	204		
	6	अहमदाबाद	92	100	92
	2	राजकोट	20	100	20
	3	सूरत	66	100	66
	9	वडोदरा	26	75	19.5
5		हरियाणा	25		
	10	फरीदाबाद	25	25	6.25
6		झारखंड	80		
	11	धनबाद	26	25	6.50
	12	जमशेदपुर	29	100	29.00
	13	रांची	25	100	25.00
7		कर्नाटक	140		
	14	बेंगलोर	140	100	140
8		मध्य प्रदेश	151		
	15	भोपाल	44	100	44
	16	ग्वालियर	26	25	6.5
	17	इंदौर	51	100	51
	18	जबलपुर	30	100	30

9		महाराष्ट्र	400		
	19	औरंगाबाद	16	100	16
	20	ग्रेटर मुंबई	246	100	246
	21	नागपुर	33	100	33
	22	नासिक	21	100	21
	23	पुणे	68	100	68
	24	वसई-विरार	16	100	16
10		पंजाब	45		
	25	अमृतसर	19	75	14.25
	26	लुधियाना	26	75	19.5
11		राजस्थान	141		
	27	जोधपुर	31	25	7.75
	28	जयपुर	83	100	83
	29	कोटा	27	75	20.25
12		तमिल नाडु	117		
	30	चेन्नई	91	100	91
	31	मदुरै	15	100	15
	32	त्रिचि	11	100	11
13		तेलंगाना	118		
	33	हैदराबाद	118	100	118
14		उत्तर प्रदेश	360		
	34	आगरा	45	25	11.25
	35	इलाहाबाद	31	100	31
	36	गाज़ियाबाद	61	25	15.25
	37	कानपुर	75	75	56.25
	38	लखनऊ	75	25	18.75
	39	मेरठ	36	25	9
	40	वाराणसी	37	75	27.75
15		पश्चिम बंगाल	211		
	41	आसनसोल	17	75	12.75
	42	कोलकाता	194	75	145.5
		कुल	2217		1833

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की पुरस्कार अवधि वर्ष के लिए मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड की अनुशंसा की (रु. करोड़ में)

राज्य क्र.सं.	शहर क्र.सं.	राज्य/यूए	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.		आंध्र प्रदेश	68	70	74	79	80	371
	1	विजयवाड़ा	31	32	34	36	37	170
	2	विशाखापत्तनम	37	38	40	43	43	201
2		बिहार	103	107	113	119	122	564
	3	पटना	103	107	113	119	122	564
3		छत्तीसगढ़	54	56	60	63	64	297
	4	दुर्ग भिलाईनगर	26	27	29	31	31	144
	5	रायपुर	28	29	31	32	33	153
4		गुजरात	204	212	223	236	241	1116
	6	अहमदाबाद	92	95	100	106	108	501
	7	राजकोट	20	21	22	23	24	110
	8	सूरत	66	69	72	77	78	362
	9	वडोदरा	26	27	29	30	31	143
5		हरियाणा	25	25	27	28	29	134
	10	फरीदाबाद	25	25	27	28	29	134
6		झारखंड	80	83	88	93	95	439
	11	धनबाद	26	27	29	30	31	143
	12	जमशेदपुर	29	30	32	34	35	160
	13	रांची	25	26	27	29	29	136
7		कर्नाटक	140	145	154	163	166	768
	14	बैंगलोर	140	145	154	163	166	768
8		मध्य प्रदेश	151	157	165	174	178	825
	15	भोपाल	44	46	48	51	52	241
	16	ग्वालियर	26	27	28	30	31	142

	17	इंदौर	51	53	56	59	60	279
	18	जबलपुर	30	31	33	34	35	163
9		महाराष्ट्र	400	415	438	463	472	2188
	19	औरंगाबाद	16	17	17	18	19	87
	20	ग्रेटर मुंबई	246	254	269	285	290	1344
	21	नागपुर	33	35	37	39	39	183
	22	नासिक	21	22	23	24	25	115
	23	पुणे	68	70	74	78	80	370
	24	वसई-विरार	16	17	18	19	19	89
10		पंजाब	45	47	50	52	54	248
	25	अमृतसर	19	20	21	22	23	105
	26	लुधियाना	26	27	29	30	31	143
11		राजस्थान	141	146	155	165	167	774
	27	जोधपुर	31	32	34	36	37	170
	28	जयपुर	83	86	91	97	98	455
	29	कोटा	27	28	30	32	32	149
12		तमिल नाडु	117	122	129	137	139	644
	30	चेन्नै	91	95	100	106	108	500
	31	मदुरै	15	16	17	18	18	84
	32	त्रिचि	11	11	12	13	13	60
13		तेलंगाना	118	122	129	137	140	646
	33	हैदराबाद	118	122	129	137	140	646
14		उत्तर प्रदेश	360	373	395	417	425	1970
	34	आगरा	45	47	50	52	53	247
	35	इलाहाबाद	31	32	34	36	37	170
	36	गाज़ियाबाद	61	63	67	71	72	334
	37	कानपुर	75	78	82	87	89	411
	38	लखनऊ	75	77	82	86	88	408
	39	मेरठ	36	38	40	42	43	199
	40	वाराणसी	37	38	40	43	43	201

15		पश्चिम बंगाल	211	219	231	245	249	1155
	41	आसनसोल	17	18	19	20	20	94
	42	कोलकाता	194	201	212	225	229	1061
		कुल	2217	2299	2431	2571	2621	12139

यूए - शहरी समूह